राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र– जिंदोली

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा	रजू दिनांक	अन्तिम निर्णय दिनांक
246 / 15	18.12.2015	23.05.2018

अनुवान

1. साधूराम पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बेहरोज तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:–वादी

बनाम

1. कौशल्या देवी पत्नी रामफल
2. बरजी पत्नी शुभराम
3. मेवा पुत्री रतीराम
4. सनिता पत्नी पूर्ण जातियान गुर्जर निवासीयान बेहरोज तहसील मुण्डावर जिला अलवर
5. भगवत पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर
6. कनिष्ठ अभियंता, जिन्दोली तहसील मुण्डावर
7. सहायक अभियंता, मुण्डावर जिला अलवर
8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर
9. उप पंजीयक, मुण्डावर जिला अलवर
10. प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा मुण्डावर जिला अलवर
11. प्रबंधक बडोदा ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक शाखा जिंदोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:– प्रतिवादीगण

दावा–खाता विभाजन
मय हु0ई0दवामी

उपस्थितिः–

1. श्री बस्तीराम यादव वकील–वादी

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

—::अन्तिम निर्णय::—

दिनांकः— 23.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व शिविर न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र जिंदोली में वास्ते सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये एवं अन्तिम निर्णय कर दिये जाने का निवेदन किया। चुंकि प्रकरण तकासमा आराजी का होकर कुरेजात प्रस्ताव तहसीलदार मुण्डावर से जरिये पत्रांक 925 दिनांक 23.05.2018 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। ऐसी स्थिती में यह न्यायालय वादी के वाद को विवादित हाल आराजी ख0 नम्बरान के बाबत अन्तिम निर्णित किया जाना उचित पाता है।

—ःआदेशः—

यह न्यायालय वादी के वाद को तकासमा आराजी का होने एवं कुरेजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली होने की स्थिती में विवादित आराजी ख0 नं0 1974 / 1.35, 2167 / 0.45 वाके ग्राम बेहरोज तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत मुताबिक प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं पक्षकारान के नाम प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक खातेजात कायम कर लगान का निर्धारण कर हाल रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मुण्डावर उक्तानुसार ही हाल रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। बैंक रहन की स्थिती में पक्षकारान को मिलने वाले हिस्से, रकबे, आराजी से ऋण राशि वसूलनीय रहेगी एवं कुरेजात प्रस्ताव मय नजरी नक्शा ''प्रदर्श–अ'' निर्णय एवं अन्तिम पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तदानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर मजमे आम में सुनाया गया।

23.05.18

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner